संपादकीय

सत्यांश

अजमाई नियुक्ति-परंपरा का विकास

भारत भर के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद बड़े पैमाने पर खाली रहने की शिकायत आम है। इन खाली पदों पर अतिथि व तदर्थ प्रवक्ताओं को नियुक्त कर पढ़ाने का कोरम पूरा किया जाता है। ऐसी नियुक्ति कैसे और किसकी होती है - जानने योग्य है। खैर! बहुत-सारी रिक्तियाँ तो अतिथि-तदर्थ रूप में भी नहीं भरी जातीं। लंबे समय बाद बिहार के महाविद्यालयों-विश्वविद्यालयों में प्रवक्ताओं, जिसे वहाँ प्राचार्य कहा गया है, उनकी नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला गया है। विभिन्न विषयों में कुल 3364 पदों के लिए रिक्तियाँ निकाली गई हैं। चयन के लिए आयोग द्वारा जो पद्धति बनाई-बताई गई है, वह विस्मयकारी है। उम्मीदवार के मूल्यांकन के लिए कुल 100 अंक नियत किए गए हैं, जिनमें 15 अंक मौखिकी-साक्षात्कार के लिए और 85 अंक शैक्षणिक योग्यता के लिए निश्चित हैं। शैक्षणिक अर्हता के अन्तर्गत मैट्रिक के लिए 10 अंक, इंटर के लिए 10 अंक, स्नातक के लिए 25 अंक और स्नातकोत्तर के लिए 30 अंक निर्धारित हैं । एम.फिल. तथा पीएच.डी. के लिए अधिकतम 10 अंक तय हैं। दोनों में से किसी एक डिग्री का ही अंक देय होगा - दोनो का कदापि नहीं, जबकि 'नेट' के लिए कुछ नहीं रखा गया है। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं है। इस प्रकार चयन का आधार मूलतः एवं पूर्णतः शैक्षणिक योग्यता की पृष्टभूमि है। अध्यापकीय अनुभव, प्रकाशन, अतिरिक्त शोध-कार्यो का कोई जिक्र नहीं है।

अस्तु, साक्षात्कार और शैक्षणिक योग्यता में अंकों के विभाजन- अनुपात से साफ है कि इस बार मैट्रिक से लेकर एम.ए. तक के प्राप्तांकों के आधार पर किसी का चयन होना अथवा नहीं होना निश्चित होगा। मान लीजिए, शैक्षणिक योग्यता में किसी को 60 अंक मिलते हैं और किसी को 75 अंक। 60 अंक वाला जब साक्षात्कार में 15 अंक लाएगा तो 75 अंक होगा, जबकि शैक्षणिक योग्यता में 75 अंक वाला साक्षात्कार में केवल एक अंक लेकर भी शैक्षणिक योग्यता में 60 और साक्षात्कार में 15 अंक लाने वाले से आगे होगा। शैक्षणिक योग्यता में 60 अंक भी तभी संभव है जब अच्छा अकादमिक प्राप्तांक हो। इस प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई चयन-प्रक्रिया वास्तविक प्रतियोगिता (कम्पीटिशन) और मौखिक परीक्षा के आकलन से न केवल बहुत दूर है, वरन् इन्हें अनुपयोगी-अप्रासंगिक भी सिद्ध करती है। आधुनिक समय और वर्तमान समाज में डिग्रियों व वर्गीय परीक्षा-प्राप्तांकों से अधिक प्रतियोगितापूर्ण जानकारी के आकलन का प्रचलन है, तब इन्हें नजरअंदाज करना अनुचित है। उपाधियों एवं प्राप्तांकों के आधार पर शिक्षक जैसे गुरुत्व दायित्व वाले पद पर नियुक्ति आज के बिगड़ते शैक्षणिक माहौल को और-अधिक बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है। डिग्री और अच्छा अंक प्राप्त कर लेने से कोई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाने योग्य नहीं हो जाता, जहाँ अध्यापन के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। जब छोटी कक्षाओं में अध्यापन करने के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है तो उच्चतर कक्षाओं के लिए यह और भी अनिवार्य होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से यहाँ अध्यापन का बढ़िया तौर-तरीका विकसित नहीं है, क्योंकि एकीकृत प्रशिक्षण प्रणाली का अभाव है, इसलिए प्रत्येक शिक्षक की 'अपनी डफली अपना राग' है। संभवतः उच्चतर कक्षाओं के अध्ययन-अनुसंधान को ही अध्यापन की योग्यता के तौर पर देखा जाता है, पर प्रायः वहाँ के पठन-पाठन व शोध का माहौल शैक्षणिक गुणों व शिक्षकीय विशेषताओं को विकसित करने की बजाय किन्हीं अन्य चीजों को उद्दीप्त करता है।

यों भी अंक बढ़वाने और डिग्रियों के बिकने-बिकवाने का चलन चतुर्दिक अन्तर्व्याप्त है और बिहार में तो यह कुछ ज्यादा ही होता है। वहाँ शिक्षामित्रों, नियोजित शिक्षकों, पंचायत शिक्षकों की बड़े पैमाने पर हुई बहाली में भाई-भतीजावाद, जातिवाद-वर्णवाद, रिश्वतखोरी, फर्जी डिग्री व प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयन और जन्म से पहले के उत्तीर्ण वर्ष वाले प्रमाण-पत्र पर नौकरी करने जैसी धांधली का रिकार्ड कायम हुआ है। इधर बिहार सरकार अपनी इसी जानी-पहचानी तथा अजमाई नियुक्ति प्रणाली-परंपरा को विश्वद्यिालय स्तर पर भी विकसित करने को व्यग्र और तत्पर है। वैसे भी बढ़िया प्राप्तांक वाली डिग्रियाँ चाहे ईमानदारी से आएँ या फिर येन-केन-प्रकारेण, अच्छे शिक्षक होने का मानक नहीं हो सकतीं। शिक्षक में विषय संबंधी गहरी समझ के साथ अन्य विषयों की बुनियादी जानकारी का होना आवश्यक होता है। विषय वस्तु को सरस-सुबोध ढंग से समझाने हेतु प्रभावशाली भाषिक संप्रेषण-क्षमता की जरूरत होती है। उच्च नैतिक गुणों एवं चारित्रिक विशेषताओं से युक्त प्राध्यापक के पढ़ाने का ही कुछ 'असर' दृष्टिगत हो सकता है।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चिरप्रतीक्षित प्रवक्ता-चयन प्रक्रिया को देखकर लगता है कि यह वास्तविक शिक्षक के चयन के प्रति गंभीर न होकर उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए अध्यापन-क्षेत्र से खदेड़ देना चाहता है। इससे बिहार की विश्वविद्यालयी शिक्षा भी स्कूली शिक्षा की तरह और-अधिक जर्जर होगी, जहाँ स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, इमारतें पक्की हो गई हैं, शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, पर शिक्षा की हालत बदतर होती जा रही है। स्कूलों के खुलने का समय संकुचित हो गया है, छात्र निजी संस्थानों की ओर जा रहे हैं, शिक्षक बिना वजह अनुपस्थित रहते हैं, सरकार साइकिल के साथ स्कूली पोशाक की धनराशि बाँट रही है, छात्राओं में नैपकिन बाँटने की योजना बना रही है और छात्र-शिक्षक व गणमान्य जन दोपहर का भोजन खिचड़ी-चावल की राजनीति में लगे हुए हैं, परंतु मूल-चीज शिक्षा गौण होकर पतनोन्मुख होती जा रही है। इन्हें देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग को फिलहाल कम से कम उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता-चयन-पद्धति की तरह निर्धारित न्यूमतम योग्यता रखने वाले सभी उम्मीदवारों की निष्पक्ष लिखित परीक्षा लेकर छँटनी का मापदंड बनाना चाहिए। लिखित परीक्षा और मौखिकी के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वालों की मेधा-सूची तैयार कर शिक्षक बनने योग्य लोगों को ढूँढ़ लेना चाहिए।